कार्यालय जिला पंचायत नारायणपुर (छ.ग.)

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

दूरभाष : 07781-252288, फैक्स : 252287, Email : ceozpnarayanpur@gmail.com
zp-narayanpur.cg@nic.in, zp_npr@yahoo.com

—: निविदा सूचना:—

क्रमांक / जि.पं. / स्टेनो / 2018 / 1376

नारायणपुर दिनांक 15.06.2018

कार्यालय जिला पंचायत में मासिक निरीक्षण, प्रषिक्षण, समीक्षा बैठकों इत्यादि में शामिल होने हेतु टोयोटा ईनोवा, और टाटा सूमो, इण्डिगो (ECs) / महिन्द्रा बोलेरो, मारूति स्विफ्ट डिजायर, स्कोर्पियों वाहन की आवश्यकता होती है। रूचि की अभिव्यक्ति के तहत् इन दोनों समूह के वाहनों के लिए निम्न शर्तो के अधीन दिनांक 23.06.2018 सांय 5.00 बजे तक पंजीकृत डाक अथवा सीधे बंद लिफाफे में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं—

नियम एवं शर्तें :—

1. वाहन का टैक्सी पंजीयन होना अनिवार्य है।
2. वाहन दो साल से अधिक पुरानी न हो।
3. वाहन के समस्त कागजात परिवहन विभाग के नियमानुसार होना अनिवार्य होगा। वाहन का रोड टैक्स, बीमा एवं अन्य सभी प्रकार के शुल्क आदि का भुगतान वाहन मालिक द्वारा देय होगा।
4. वाहन किराया का दर **डीजल / वाहन चालक** सहित एवं **डीजल / वाहन चालक के बिना** पृथक—पृथक प्रस्तुत करना होगा। यह दर प्रतिदिन तथा मासिक प्रस्तुत किया जाय।
5. वाहन चालक वाहन मालिक का होने पर वाहन चालक का व्यय (वेतन) संबंधित वाहन मालिक द्वारा देय होगा। वाहन चालक के अवकाष या अस्वस्थ होने पर वाहन मालिक को तत्काल दूसरे वाहन चालक की व्यवस्था करनी होगी।
6. वाहन रखने या हटाने का अधिकार संबंधित विभाग को होगा, विभाग द्वारा वाहन अनुबंध को एक माह पूर्व सूचना दिया जाकर बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकेगा व वाहन मालिक द्वारा भी एक माह पूर्व सूचना पर अपना वाहन हटाने का विकल्प होगा।
7. वाहन की लाग बुक / लाग कार्ड प्रतिदिन अनिवार्य रूप से वाहन चालक को नियमानुसार भरना होगा एवं संबंधित अधिकारी से प्रतिदिन अनिवार्य हस्ताक्षर लिया जाना होगा।
8. शर्तो का उल्लंघन करने पर वाहन को हटा दिया जायेगा एवं वाहन का किराया भी देय नहीं होगा।
9. प्राप्त निविदा दर राज्य शिष्टाचार अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित किराया दर से कम होने पर ही मान्य की जावेगी।

आदेशानुसार
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत नारायणपुर

पृ.क्र. / जि.पं. / स्टेनो / 2018 / 1377

नारायणपुर दिनांक 15.06.2018

प्रतिलिपिः—

1. जनसंपर्क अधिकारी, समाचार पत्रों में उपरोक्तानुसार विज्ञप्ति प्रसारित करें।
2. नेटवर्क इंजिनियर एन.आई.सी. उक्त विज्ञापन राज्य और जिला स्तर के वेबसाईट पर अपलोड करें।

15/6

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत नारायणपुर

Scanned by CamScanner